तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-01-25	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है– **प्रार्थना पत्र संख्या 22/2021** **दायरा दिनांक 27.09.2023** **बउनवान वदप्रकाश बनाम रामरतन वगै0** <u>निर्णय</u> प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद विषयक आराजीयात जमाबंदी खसरा संख्या 66 रकबा 1.55है0, खसरा संख्या 66 रकबा 0.03है0, खसरा संख्या 67 रकबा 0.02है0, खसरा संख्या 68 रकबा 1.0है0, खसरा संख्या 69 रकबा 0.68है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.30है0 वाके ग्राम चमावली तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/4 हिस्से के सहखातेदार एवं संयुक्त कब्जा काश्त है इसलिए प्रार्थी अपने हिस्से के अनुसार उक्त आराजी का बंटवारा उत्तर से दक्षिण रोड की तरफ से जो लाखेरी बून्दी रोड की साइड की तरफ से अपने हिस्से के अनुसार कृषि भूमि का बंटवारा करवाना चाहता है। प्रार्थी मीणा जननाति में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है इसलिए ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होगा। इसलिए अप्रार्थी सं 6 ता0 10 का नाम विलोपित किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अंतिम बार दिनांक 10.07.19 को अप्रार्थिगण से कहने पर कृषि भूमि बंटवारा करवाने से मना कर दिया है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 उक्त कृषिभूमि पर पक्का निर्माण करने पर उतारू हो रहे है जिससे प्रार्थी को डेमेज होगा व कृषि से अकृषि होकर भूमि की किस्म प्रकृति परिवर्तन हो जायेगी। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थिगण को वाद विषयक आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने व मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 4 लगायत 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद विषयक आराजी की संबंध में वास्तविकता इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता जगदीश व अप्रार्थी सं0 3 के पिता मदनलाल और अप्रार्थी सं 1 व 2 के मध्य वाद विषयक आराजी बाबत मौखिक पारिवारिक बंटवारा आज से करीब 30 वर्षो पूर्व रूबरू गवाहान हो गया था। जिसके मुताबिक प्रार्थी के पिता जगदीश के हिस्से में ख0सं0 69,68 की कृषि भूमि में से दक्षिण दिशा की तरफ 5बीघा, अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में ख0सं0 68 रकबा 1.02है0 में से 5बीघा भूमि लाखेरी से बून्दी रोड के सहारे–सहारे आई थी तथा अप्रार्थी सं 2 के हिस्से में ख0सं0 65 में से लाखेरी से बून्दी रोड के सहारे–सहारे 5बीघा भूमि आई थी। अप्रार्थी सं 3 के पिता मदनलाल के हिस्से में ख0सं0 65 में से 5बीघा भूमि दक्षिण दिशा की तरफ आई थी। उक्तानुसार सभी काबिज काश्त है। प्रार्थी के पिता जगदीश व अप्रार्थी सं 3 के पिता मदनलाल को अप्रार्थिगण ने अपने हिस्से की भूमि पर पहुंचने के लिए ख0सं0 68 के पश्चिम दिशा की मेर के सहारे सहारे 12फिट रास्ता कायम किया गया था। प्रार्थी ने पिता की मृत्यु के बार प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का नाजायज रूप से फायदा उठाकर यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। अप्रार्थी सं 1 द्वारा मौखिक पारिवारिक बंटवारा प्राप्त भूमि पर कृषि उपकरण व खाद बीज इत्यादि काश्तकारी गतिविधियों को सम्पादित करने के लिए एक कमरा बनाया जा रहा था। प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा कृषि उपकरण रखने बाबत निर्माण कार्य से वाद विषयक भूमि की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही प्रार्थी के खातेदारी अधिकार प्रभावित होंगे। इस प्रकार प्रार्थी का केस प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं है। न ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रमाणित है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी सं 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त कृषिभूमि में अन्य सहखातेदारान के साथ अप्रार्थी सं 3 उत्तरदाता एवं अप्रार्थी सं 5 शर्मा बाई का भी भूमि में	

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उत्तर से दक्षिण रोड की तरफ से लाखेरी से बून्दी रोड की साईड से समान हक अधिकार व कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं 1 ता0 2 जबरन वाद विषयक कृषि भूमि पर पक्का निर्माण कार्य करना चाहते है जिससे सहखातेदार प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना है अतः अप्रार्थिगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2003(1) पेज सं 516, आर0आर0डी0 2009 पेज सं 96, 2016(1)डीएनजे राज0 393, ए0आई0आर0 2021(एन0ओ0सी0)85 पेश किए। अप्रार्थी सं 1 व 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी की बहस विरोध करते हुए कथन किया कि वाद विषयक आराजी का मौखिक पारिवारिक बंटवारा आज से करीब 30 वर्षो पूर्व रूबरू गवाहान हो गया था। उक्त मौखिक पारिवारिक बंटवारा अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थिगण काबिज है। प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा मौखिक पारिवारिक बंटवारा प्राप्त भूमि पर कृषि उपकरण व खाद बीज इत्यादि काश्तकारी गतिविधियों को सम्पादित करने के लिए एक कमरा बनाया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा कृषि उपकरण रखने बाबत निर्माण कार्य से वाद विषयक भूमि की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही प्रार्थी के खातेदारी अधिकार प्रभावित होंगे। अप्रार्थिगण वाद विषयक भूमि के सहखातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करना कानून उचित नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1997 एच0सी0 पेज सं 45, आर0एल0डब्लू0 2016 पेज सं 475, आर0आर0डी0 2008 पेज सं 762 पेश किए।

हमने उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपस्थित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संम्वत् 2075–78 खतौनी सं 87 ग्राम चमावली तहसील इन्द्रगढ़ में प्रार्थी 2/25 हिस्से का सहखातेदार है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना में अप्रार्थी सं 1 व 2 द्वारा पक्का निर्माण करने संबंधी जो तथ्य अंकित है उसकी पुष्टी अप्रार्थी सं 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र से हो रही है। जहां तक प्रश्न वाद विषयक आराजी के मौखिक पारिवारिक बंटवारे का है तो अप्रार्थिगण द्वारा इसके संबंध में कोई दस्तावेज हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया है। यहां यह स्वीकृत तथ्य है कि दोनो पक्षों के मध्य वादग्रसत आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी ने यहां यह कथन किया है अप्रार्थी सं 1 व 2 सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन पक्का निर्माण करने पर आमादा है जिससे सभी सहखातेदारों के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडना स्वभाविक है हमारे मत में वाद बहुलता के मध्यनजर वाद विषयक भूमि के संबंध उभयपक्ष को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थित को बनाए रखने के लिए पाबंद करना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 66 रकबा 1.55है0, खसरा संख्या 66 रकबा 0.03है0, खसरा संख्या 67 रकबा 0.02है0, खसरा संख्या 68 रकबा 1.02है0, खसरा संख्या 69 रकबा 0.68है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.30है0 वाके ग्राम चमावली तहसील इन्द्रगढ़ पर उभयपक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर प्रार्थना पत्र पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)